कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/पीएसपी–सी/अ–2/60566/2018–19 दिनांक :– 15-11-18

समस्त
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)
.... ।

विषयः– राज्य के सभी विद्यालयों में फीस व अन्य भुगतान भीम एप्लीकेशन के माध्यम से किये जाने को बढ़ावा देने के संबंध में
प्रसंगः–शासन का पत्रांक प.12 (10) शिक्षा–5/शिकायत/2018 जयपुर दिनांक 22.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के सभी विद्यालयों में फीस व अन्य भुगतान भीम एप्लीकेशन के माध्यम से किये जाने को बढ़ावा देने के संबंध में प्रक्रिया विचाराधीन है अतः राज्य के सभी विद्यालयों में फीस व अन्य भुगतान भीम एप्लीकेशन के माध्यम से किये जाने को बढ़ावा देने के संबंध में सूचना संबंधित समाचार अपने– अपने क्षेत्र के प्रचलित दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर अभिभावक संघों तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के संघों से सुझाव/आपत्तियॉ आमन्त्रित कर प्राप्त समेकित प्रस्तावों पर अपनी स्पष्ट टिप्पणी सहित समेकित सुझाव तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

14.11.18
(शिवप्रसाद)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

www.rajteachers.com

8472

Orders 14.11.2018 Put up.

PS

DD(Sec)

क्रा. शिक्षा/निजी/Govt./ 3419

13 NOV 2018

12-11-18

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.12(10) शिक्षा–5 / शिकायत / 2018 जयपुर,दिनांक 22-10-2018

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर।

विषयः– राज्य के सभी विद्यालयों में फीस व अन्य भुगतान भीम ऐप्लीकेशन के माध्यम से किये जाने को बढावा देने के संबंध में।
संदर्भः– आपका पत्र दिनांक 24.08.2018 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में फीस व अन्य भुगतान **'भीम' ऐप्लीकेशन** के माध्यम से किये जाने को बढावा देने के संबंध में यह स्पष्ट करावे कि क्या **'भीम' ऐप्लीकेशन** लागू किये जाने के संबंध में अभिभावक संघों तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्था के संघों से सुझाव/आपत्तियां ली गई हैं, अथवा नहीं। अगर अभिभावक संघो तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्था के संघों से सुझाव/आपत्तियां नहीं ली हैं तो कृपया अभिभावक संघो तथा गैर सरकारी शिक्षण संस्था के संघों से सुझाव/आपत्तियां लेकर प्रक्रिया के साथ अपने स्पष्ट प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करावें, जिससे आगामी कार्यवाही की जा सके।

www.rajteachers.com

भवदीय

22/10/18

(महेश कुमार गेरयानी)
शासन उप सचिव